

**Form-I**  
**(for linear projects**  
**Office of the District Collector**  
**Kangra at Dharmshala**

No. **1413** /DRA


Dated: **27-06-2020**

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **01-56-48 Hectares** situated in Mohal Masroor & Dhar Gariar, Tehsil Dehra Distt. Kangra, of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD for construction of Link Road Masroor to Ghariar in the state of H.P in Tehsil Dehra falls within the jurisdiction of Dehra Forest Division.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **01-56-48** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexures. As per report received from Gram Panchayat, Masroor, and SDO (C) Dehra there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.

  
District Collector  
Kangra at Dharamshala



**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT KANGRA (H.P.)**

**Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights )Act (FRA), 2006.**

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Rakesh Kumar Prajapati, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 24-06-2020 at 04.00 PM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Masroor, claiming rights in **01-56-48 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dehra, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_ No claim filed by anyone \_\_\_\_\_

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)


<u>S.No</u>	<u>Name of Applicant*</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Details of forest right</u>
-------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------

OR

As informed by SDO (Civil) Dehra, no application was received from Gram Sabha Masroor claiming rights in **01-56-48 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 1412 /DRA Dated : 27-06-2020

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Forest Rights Committee

\*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

OFFICE OF THE SDO CIVIL), DEHRA  
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee of DEHRA Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. DHANBIR THAKUR SDO (Civil) DEHRA on 30/11/2019 at 11.00 AM/PM at DEHRA (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Masoor Gram Sabha, claiming rights in Mohal Reserve Jungle Masoor Masoor forest area(s) under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Char Gharay Gharan Masoor Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No. Name of Applicant\* Name of Forest Detail of forest Right

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_ No claim

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :-

S.No. Name of Applicant\* Name of Forest Detail of forest Right

1.  
2.

OR

As informed by \_\_\_\_\_ Gram Sabha, no application was received claiming rights in forest area.

Place: Dehra

Date: 30/11/2019

SDO (Civil) cum Chairman/Chairperson  
Dehra, Dist. Kangra (H.P.)

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area



8

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER © DEHRA, DISTRICT KANGRA (HP)

Proceeding of the meeting of Sub Divisional level committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub Divisional Level Committee of Dehra Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Sh. Dhanbir Thakur HAS, Sub Divisional Officer (Civil) Dehra on 30/11/2019 at 11.00 am at SDM office Dehra in which the applications of the applicants of Masroor Gram Sabha claiming rights in Mohal Reserve Jungle Masroor-1, Masroor, Dhar Ghariar, Ghariar forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Masroor Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of the following application was found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Sr. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
1.	Ex Capt. Bansi Lal & others R/o Ghariar	1.Reserve Jungle Masroor-1 2.Masroor 3.Dhar Ghariar 4.Ghariar	In the possession of Forest Department and Tabe Bartan Bartandaran

Place: Dehra

Date 30/11/2019

SDO © -cum- Chairman/ Chairperson Sub  
Division Level Committee Dehra, Distt. Kangra HP  
Dehra, Distt. Kangra (H.P.)

9

Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007 के अन्तर्गत उपमण्डल स्तर पर गठित कमेटी की बैठक आज दिनांक 30/11/2019 को श्री धनवीर ठाकुर HAS उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा की अध्यक्षता में हुई जिसमें मसरूर से घरियाड़ सड़क के निर्माण हेतु वन अधिकार समिति ग्राम सभा मसरूर द्वारा पारित प्रस्ताव वारे चर्चा की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1. Daljit Singh. R.F.O. Nagda Surin
2. Satish Kumar Macb Tewari Idar
3. Mukesh Kauri
4. Pishma
5. Aneta Spehici
- 6.

dal

(b)

(P)

Tishma

AP

dm

SDO © -cum- Chairman/ Chairperson Sub  
Division Level Committee Dehra , Distt. Kangra HP



105

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मसरूर  
विकास खण्ड नगरोटा सुरिया जिला काशी (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05-10-2017

गणपूर्ति 146 / 356

प्रस्ताव संख्या 07

विषय HPPWD के निर्माण हेतु मसरूर व चार घरियाड़ विभाग/संस्था को मसरूर से घरियाड़  
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1.5648 हैक्टयर वन भूमि के  
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा मसरूर की बैठक आज दिनांक 05-10-2017 को 03:00 बजे स्थान मसरूर में  
की गई जिसमें HPPWD के निर्माण हेतु मसरूर व चार घरियाड़ विभाग/संस्था को मसरूर से घरियाड़  
1.5648 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह प्रारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1.5648 हैक्टयर वन भूमि को मसरूर से घरियाड़ सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा मसरूर की सहमति दी जाती है।

स्थान

दिनांक

प्रधान Viveka  
ग्राम पंचायत मसरूर  
सि. ख. नगरोटा सुरिया

सचिव/हस्ताक्षरकर्ता  
ग्राम नि. मसरूर  
विकास खण्ड नगरोटा सुरिया  
तहसील देहरा (काशी) जिला

President  
Capt. Bansal Chaudhary (Rtd.)  
Forest Committee  
Village Ghariar (Masrur)

प्रस्ताव संख्या ०३

दिनांक ५-७-२०१७

ग्राम समिति मसकर की बैठक आज दिनांक 05-10-2017 को 11:00 बजे  
 बजे, स्थान मसकर में श्री धीमति विवेका की अध्यक्षता में  
 की गई जिसमें मसकर व चार चरियाड़ गांव के अनुगृहीत जनजाति और अन्य परम्परागत  
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मसकर व चार चरियाड़ गांव/व  
 क्षेत्र में जिसमें H.P.P.W.D. विभाग द्वारा मसकर से चरियाड़ के निर्माण के लिए 155648 हेक्टेयर वन  
 भूमि का उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम समिति की वन अधिकार समिति की  
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के स्पष्ट  
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम समिति द्वारा निम्न लिखित पात्रों का  
 नाम नियमानुसार सही पाया गया :-

क०/१०      \* पात्र ग्राम वासी का नाम      जंगल का नाम      वन अधिकार का

NIL

संदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप ग्रुपड स्तर की समिति को पेशित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया—

क०स० पात्र ग्राम वासी का नाम

तदानीसायन नाम  दावों को निरस्त करती है।

या

मसाले व धार धारिमाड  
जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी

अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

२४१३

दिनांक

President  
Capt. Bansi Lal Chaughary (Retd.)  
Forest Committee  
Village Ghariar (Masrur)

121  
 Capt. Bansi Lal Chaudhary (Retd.)  
 Forest Committee  
 आयेदन किया है।

प्रौजैव / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भू-  
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

उपयोग की अनुमति दी जानी

लाहल १० प्रेमदास राय अद्वैत  
दीक्षा का ६० प्राप्ति राय  
माहा १० उद्देश्य राय  
मुद्रा पित्र १० लाल राय  
माहा १० वेद राय  
अवरा १० केली राय राम संरक्षण

[illegible]



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03

दिनांक 05-10-2017

वन अधिकार समिति ग्राम सभा मसरुदर की बैठक आज दिनांक 05/10/2017 को 11:00 बजे स्थान मसरुदर में श्री/श्रीमति विदेवा की अध्यक्षता में की गई जिसमें मसरुदर व धार हरिमाड गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मसरुदर जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें MPWD विभाग द्वारा मसरुदर से धारिमाड के निर्माण के लिए 15648 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया --

क्र.सं.

\* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का स्वीकार

नदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी प्रमाणित करती है।

अपवाद में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया --

क्र.सं.

\* पात्र ग्राम वासी का नाम

नदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश

या

नदानुसार कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक

अधिसूचित प्रकाशककर्ता

ग्राम सभा

विकास एवं न्याय सेवा

जिला न्याय (नियंत्रण) विभाग

दिनांक

President

Capt. Balraj Chaudhary (Retd.)

Village Committee

Village Gharjar (Masrud)

\*\* शील्ड/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

1. वस्ती लाल शिवाजी राव अग्रवाल
2. कुंदराम शिवाजी राव अग्रवाल
3. शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल
4. श्री शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल
5. वस्ती लाल शिवाजी राव अग्रवाल
6. शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल
7. श्री शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल
8. श्री शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल
9. श्री शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल
10. श्री शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल
11. श्री शिवराम शिवाजी राव अग्रवाल